न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक गित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:–102/22

1. टीकाराम पुत्र राधेश्याम
2. किरनदेई पत्नि राधेश्याम

सभी जाति ब्राहम्ण, निवासी ककलपुरा, तहसील, बयाना, जिला–भरतपुर

.....वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरोलाल दोहित्रा देवसुख, जाति ब्राहम्ण, निवासी ककलपुरा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज0) (मृतक)

1/1. गीता पुत्री भैरोलाल पत्नि द्वारिका प्रसाद निवासी खेडा ठाकुर तह0 रूदावल जिला भरतपुर

1/2. ओमप्रकाश पुत्र भैरोलाल निवासी कंकलपुरा तहसील बयाना भरतपुर

1/3. सतीशचन्द पुत्र भैरोलाल निवासी कंकलपुरा तहसील बयाना भरतपुर

1/4. शारदा पुत्री भैरोलाल निवासी ग्राम खटनावली तहसील बयाना भरतपुर राज0

1/5. कान्ता पुत्री भैरोलाल पत्नि श्यामसुन्दर निवासी खटनावली तह0 बयाना भरतपुर

1/6. राधा उर्फ राजा पुत्री भैरोलाल पत्नि भूदेव पाठक निवासी दाहिमा तहसील रूपवारा जिला भरतपुर

1/7. सरोज उर्फ सल्ला पुत्री भैरोलाल पत्नि मुकेशचन्द जाति निवासी ग्राम शेखपुर तहसील बयाना भरतपुर

1/8. रमा उर्फ रामा पत्नि हरिओम पुत्र भैरोलाल जाति निवासी ग्राम कंकलपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

1/9. नैना पुत्री हरिओम पौत्री भैरोलाल जाति ब्राहमण निवासी कंकलपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

1/10. पवन कुमार पुत्र स्व0 हरिओंम नाती भैरोलाल जाति ब्राहमण निवासी कंकलपुरा तहसील बयाना भरतपुर राज0

1/11. वन्दना उर्फ बुल्ला पुत्री स्व0 हरिओम पौत्री स्व0 भैरोलाल जाति ब्राहमण निवासी कंकलपुरा तहसील बयाना भरतपुर

1/12. प्रहलाद उर्फ पालु पुत्र स्व0 हरिओम नाती स्व0 भैरोलाल जाति ब्राहमण निवासी कंकलपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर

1/13. निधि पुत्री ममता पत्नि ताराचन्द जाति ब्राहमण निवासी कारोभेव तहसील नदबई जिला भरतपुर

1/14. कल्ला उर्फ देवेन्द्र पाठक पुत्र ममता पत्नि ताराचन्द पाठक जाति ब्राहमण निवासी दाहिना गांव तहसील रूपवास जिला भरतपुर (राज0)

.....असल प्रतिवादी/अप्रार्थी

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

.....शोभनार्थ प्रतिवादी/अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. टी. एक्ट ओर्डर 39 रूल 1 व 2 धारा 151 जा.दी. वसिलसिले दावा–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक:– 13/1/22

उपस्थिति:– श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा वकील प्रार्थीगण

श्री नारायण सिंह वकील अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज.

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. टी. एक्ट ओर्डर 39 रूल 1 व 2 धारा 151 जा.दी. वसिलसिले दावा–विभाजन

व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज.टी.एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम ककलपुरा तहसील बयाना में स्थित जमाबन्दी के खाता संख्या 162 में वर्णित आराजी खसरा नम्बरान 129 रकबा 0.33, 169 रकबा 0.41, 189 रकबा 0.47, 190 रकबा 0.66, 320 रकबा 0.25, 361 रकबा 0.47, 377 रकबा 0.20, 510 रकबा 0.20, 620 रकबा 0.23, 621 रकबा 0.25, 813 रकबा 0.17, 824 रकबा 0.18, 825 रकबा 0.26, 882 रकबा 0.16, 883 रकबा 0.04, 887 रकबा 0.18, 890 रकबा 0.41, 908 रकबा 0.28, 909 रकबा 0.03, 93 रकबा 0.21 किता 20 कुल रकबा 5.39 हैक्ट. स्थित है जिसमें वादी प्रार्थी टीकाराम पुत्र राधेश्याम 3/8 हिस्से का, व वादिनी प्रार्थनी किरनदेई पत्नि राधेश्यामम 1/8 हिस्से की व असल प्रतिवादी अप्रार्थी भैरोलाल दोहित्रा देवसुख 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज आरजी है। उक्त आराजी अविभाजित है जिसे वादीगण प्रार्थीगण व असल प्रतिवादी अप्रार्थी आपसी सहमति से अपने-अपने हिस्सा मुताबिक शामिल शरीक मे रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा अपने-अपने हिस्सा अनुसार राज लगान भी समय-समय पर भुगतान करते चले आ रहे है किन्तु वैधानिक रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वर्तमान में शामिल शरीक रहकर व मनपट के आधार पर उक्त वर्णित आराजी पर खेती करना बहुत ही कठिनाईयों व आर्थिक हानि के साथ सम्भव हो रहा है, तथा उची, नीची खेती की जमीन को आपसी विवाद मे समतल करना भी कठिन हो रहा है असल प्रतिवादी अप्रार्थी की मंशा मे बदयान्ती आ गई है वहय समय पर ,खेती हेतु खर्चा, खद, बीज व सिंचाई के लिए तथा भूमि को समतल करने की कहने पर झगडा व मारपीट पर आमादा फिसाद तैयार हो जाता है। ताकत के बल पर उपजाउ भूमि व कीमती भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तथा बेचान करने की धमकी दे रहा है ऐसी स्थिति में उपरोक्त आराजी विभाजन कराया जाना अति आवश्यक हो गया है। वादीगण प्रार्थीगण ने असल प्रतिवादी से दिनांक 09.04.2022 को उक्त वर्णित आराजी का विधि अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कराने के लिए कहा तो असल प्रतिवादी ने सा। इन्कारी हो गया और वादग्रस्त आराजी पर वादीगण प्रार्थीगण को धमकी दी है कि मेरी लाठी व पैसे में ताकत है मै अच्छी-अच्छी आराजी पर काश्त कर कब्जा करूगा व वादग्रस्त आरजी को विना विभाजन कराये दीगर लठैत व्यक्तियों को बेचान कर दूगा जो तुम्हें लाठी की ताकत से बेदखल कर देगा। यदि असल प्रतिवादी अपनी उक्त धमकी व मंशा में सफल हो गया तो वादीगण प्रार्थीगण को भारी अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयों पैसों में नहीं की जा सकेगी तथा वादीगण प्रार्थीगण बर्बाद हो जायेगें वादग्रस्त आराजी का कानूनी तौर पर विभाजन कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है।

अन्त में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई स्वीकार किये जाने असल अप्रार्थी को ता फैसली मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की आराजी खसरा नम्बरान 129 रकबा 0.33, 169 रकबा 0.41, 189 रकबा 0.47, 190 रकबा 0.66, 320 रकबा 0.25, 361 रकबा 0.47, 377 रकबा 0.20, 510 रकबा 0.20, 620 रकबा 0.23, 621 रकबा 0.25, 813 रकबा 0.17, 824 रकबा 0.18, 825 रकबा 0.26, 882 रकबा 0.16, 883 रकबा 0.04, 887 रकबा 0.18, 890 रकबा 0.41, 908 रकबा 0.28, 909 रकबा 0.03, 93 रकबा 0.21 किता 20 कुल रकबा 5.39 हैक्ट.वाके ग्राम ककलपुरा तहसील बयाना में वादीगण प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें प्रार्थीगण को अपने हिस्से की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें विवादित आराजी के किसी भी हिस्से को रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करें रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायें रखें, बाबत निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र की अधिकांश

गदों को अस्वीकार करते हुये अपने विशेष विवरण में अंकित किया है कि उक्त वर्णित आराजी हम अप्रार्थीगण के परबाबा व मृतक भैरोंलाल के खास बाबा देवसुख की छोडी हुई कृषि भूमि है क्योंकि परबाबा व बाबा देवसुख के जीवनकाल में उसका सगा पुत्र गोरधन फौत हो गया था तो सम्पूर्ण आराजीयात का विरासत का दाखिल खारिज मृतक भैरोंलाल के नाम दर्ज हो गया तथा सम्पूर्ण आराजीयात पर हम अप्रार्थीगण का पिता व पति नियमति रूप से काश्त करता चला आ रहा था परन्तु प्रार्थीगण का पिता व पति राधेश्याम को मृतक भैरोंलाल ने किसी अन्य गांव से काश्त करने में सहयोग करने के लिये बुला लिया तो राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की सहवन त्रुटि के कारण उसके नाम मुतदावी आराजी में निरफ हिस्से की खातेदारी दर्ज कर दी। उक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन मनवट के आधार पर मृतक भैरोंलाल व मृतक राधेश्याम के मध्य काफी अर्सो दराज से हो गया था और उसी के मुताबिक कब्जे के आधार पर नियमित रूप से काश्त करते चले आ रहे है दोनो फसाले जोत बोकर उपज पैदा करते चले आ रहे है। शामिल शरीक होकर मुतनाजा आराजी पर मौके पर काश्त नहीं हो रही है। हम अप्रार्थीगण के पिता, पति व बाबा मृतक भैरोंलाल के स्थान पर नियमित रूप से काश्त करते चले आ रहे है और हम अप्रार्थीगण का हिस्सा निरफ डाबर पक्की सडक से लगा हुआ है जबकि प्रार्थीगण की काश्त हम अप्रार्थीगण के बेक में स्थित है तथा पीछे की तरफ ही आज तक काश्त करते चले आ रहे है। मुशतरिका काश्त नहीं होने के कारण बीज खद व समतल किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है प्रार्थीगण ने तमाम झूठ व फरेबाजी तथ्य लिखाकर हम अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की गरज से झूठा दावा/प्रार्थना न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है जो हरसूरत खारिज योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने वादपत्र/प्रार्थना पत्र में काश्तकारी किये जाने के तथ्यों को नहीं लिखा है इसलिये राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों का सहीं ढंग से मजीद नहीं किया है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा काबिले खारिज के है।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। एड0 प्रार्थीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक जारी किये जाने का निवेदन किया। एड0 अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने अभिभाषकगणों के तर्को पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। विवादित आराजी पक्षकारान की अविभाजित होल्डिंग है। जिसका कानूनी बटवारा नहीं हुआ है।

प्राईमाफेरी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.05.2022 को मूल वाद के निर्णय तक पुष्ठ किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद-तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/12/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस.)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.
बयाना